ASSISTANT DIRECTOR (TECHNICAL)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1987 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (तकनीकी)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पी बी-2, 9300—34800 रु. तथा ग्रेड पे 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
संयोजित पद्धति [प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा के साथ)]	**संयोजित पद्धति :** 1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा

(12)

(ii) जिन्होंने पीबी-2, 9300—34800 रु. तथा 4200 रु. ग्रेड पे अथवा समतुल्य पे बैंड और ग्रेड पे वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(क)(i) सांख्यिकी अथवा गणित (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा संक्रिया अनुसंधान अथवा भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी (कंप्यूटर संबंधित विषय को छोड़कर) में स्नातक डिग्री या समकक्ष;

(ii) कम्प्यूटर अथवा वर्ड प्रोसेसर अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपस्कर पर दो वर्ष कार्य करने के अनुभव सहित डी ओ ई ए सी सी कार्यक्रम के अंतर्गत 'ओ' स्तर का डिप्लोमा अथवा समकक्ष; और

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा या समकक्ष में हिन्दी एक विषय के रूप में; या

(ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरी अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिक स्नातक या समकक्ष;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में; या

2. ऐसे विभागीय तकनीकी सहायक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन कर लिया है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	पद को भरे जाने तथा इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध के आशोधन/शिथिलता के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा. V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment (Amendments) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment Rules, 1987, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (Technical)	01* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300-34800 with the Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]	**Composite method :—** 1. Officers under Central or State Governments or Union Territories or recognized Research Institution or Universities or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous organizations :— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) With five years regular service in posts in PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent; and

(12)
(b) possessing the following educational qualifications and experience: A. (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Economics (with Statistics) or Operation Research or Physics or Bachelor's Degree in Engineering (other than computer related subject) from a recognized University or equivalent; (ii) 'O' level Diploma under DOEACC programme or equivalent with two years' experience in working with Computer or Word Processor or other electronic equipment; (iii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or equivalent; or B. (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognized University or equivalent; (ii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or equivalent; or 2. The Departmental Technical Assistant with 8 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up of post and for amendment/relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F. No. A-12018/01/2010-Ad. V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

1305 HA/11-3